पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 5154/2024

संबन्धित

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 512/2024

संबन्धित थाना कांड संख्या-100 वर्ष-2020 थाना- बगेनगोला जिला-बक्सर से उत्पन्न

==========

राकेश राय पिता - संजय राय निवासी ग्राम-पोखराहा, थाना- बगेनगोला, जिला-बक्सर

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....विपरीत पक्ष/ओं

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए : सुश्री बंदना सिंह, अधिवक्ता

: श्री सुधीर कुमार सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए : सुश्री अनीता कुमारी सिंह, सहायक लोक अभियोजक

==========

किशोर न्याय अधिनियम, 2015---धारा 12, 18(3)---किशोर को जमानत---- याचिकाकर्ता, एक किशोर, जो हत्या के आरोप में न्यायिक हिरासत में है, की जमानत की प्रार्थना को खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपील----विद्वान बाल न्यायालय ने अपीलकर्ता की जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि वह हत्या के कथित अपराध में सक्रिय रूप से शामिल है और आपराधिक गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है और उसकी संगति बुरी है और उसकी रिहाई से वह अन्य ज्ञात अपराधियों के साथ जुड़ जाएगा या उसे नैतिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल देगा और न्याय के उद्देश्यों को पराजित करेगा।

निष्कर्ष: गंभीर प्रकृति के अपराध में अपीलकर्ता की संलिप्तता किशोर को जमानत देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है---जे.जे. अधिनियम का उद्देश्य और लक्ष्य किशोरों का सुधार और पुनर्वास करना है न कि उन्हें दंडित करना---यदि बच्चे को हिरासत में रखना उसके विकास और पुनर्वास या संरक्षण में सहायक है, तभी यह कहा जा सकता है कि बच्चे को रिहा करने से न्याय का उद्देश्य विफल होगा---अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करना, उसे पर्यवेक्षण गृह में रखने की तुलना में न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति और संवर्धन बेहतर ढंग से करेगा, क्योंकि परिवार को बच्चे के कल्याण और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम और सर्वाधिक वांछनीय संस्था माना जाता है---सामाजिक जांच रिपोर्ट यह नहीं दर्शाती है कि अपीलकर्ता वर्तमान मामले से पहले किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त था या किसी आपराधिक गिरोह का सदस्य था---निम्न न्यायालय हत्या के कथित अपराध की गंभीरता से प्रभावित हुआ है---आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया---अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया--अपील स्वीकार की गई। (पैरा- 10, 16)

2024 एससीसी ऑनलाइन पैट 8499 .....पर भरोसा किया गया।

205 सीआरआईएलजे (एनओसी) 115 (दिल्ली), एनसीटी ऑफ दिल्ली, 2006 सीआरआईएलजे 4759 ....को संदर्भित किया गया।

==========

पटना उच्च न्यायालय का न्याय निर्देश

==========

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखक निर्णय

तिथि : 17-01-2025

वर्तमान आपराधिक अपील को अपीलार्थी द्वारा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश अनु0 जा0 /अनु0 ज0 और किशोर न्यायालय, बक्सर

द्वारा पारित दिनांक 01.11.2023 के प्रश्नगत आदेश के बिरुद्ध की गई है जो बगेनगोला थाना कांड संख्या 100/2020 से संबन्धित वयस्क बाल मामले संख्या 14/2023 मे पारित किया गया है, जिसके तहत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की जमानत याचिका को निम्नलिखित आधार पर खारिज कर दिया हैः-

> "इस मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक अन्वेषण विवरण सहित मामले के रिकॉर्ड/ अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया है कि सीआईसीएल (कानून से संघर्षरत बालक) "आर" इस मामले में सक्रिय रूप से शामिल था और अनुसंधान के दौरान यह पता चला है कि सीआईसीएल (कानून से संघर्षरत बालक) "आर" ने अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों की मिलीभगत से सूचक के पिता की हत्या की है। सीआईसीएल (कानून से संघर्षरत बालक) "आर" आपराधिक गतिविधियों में भी संलिप्त रहा है और उसकी संगति खराब थी। इसलिए, उपरोक्त परिस्थितियों में सीआईसीएल (कानून से संघर्षरत बालक) "आर" के लिए इस बात की पूरी संभावना है कि उसकी रिहाई से वह अन्य जानने वाले अपराधियों के साथ जुड जाएगा अथवा वह किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड जाएगा और उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को भी विफल कर देगी। इसलिए सीआईसीएल (कानून से संघर्षरत बालक) "आर" की जमानत याचिका का निपटारा किया जाता है।"

2. अभियोजन पक्ष का मामला जो सूचक के *फर्दबयान* पर आधारित है यह है कि दिनांक 20.08.2024 को दोपहर 2:00 बजे जब सूचक और उसके पिता अपने जानवरों के चारे के लिए घास काट रहे थे, तो सह-ग्रामीण विजय पांडेय, अजय पांडेय, उमा शंकर पांडेय, विक्रमादित्य पांडेय, मनीष पांडेय, राकेश राय (अपीलकर्ता) और संजय राय चार अज्ञात व्यक्तियों के साथ अपने हाथों में देसी पिस्तौल और बंदूकें लेकर घटना स्थल पर आए और उस स्थान पर जाने के तुरंत बाद, विजय पांडेय ने कहा कि उन्हें सूचक और उसके पिता दोनों को मारना है, क्योंकि वे जमीन के संबंध में अदालत में मुकदमा कर रहे हैं। विजय पांडेय ने सूचक के पिता पर भी गोली चलाई जो उन्हें बाएं कान के पास लगा। अजय पांडेय ने सूचक पर गोली चलाई जो उसकी गर्दन पर लगा। उमा शंकर पांडेय ने भी सूचक केपिता की पीठ पर गोली मार दी। उसके पिता

गिर पड़े। बाकी लोगों ने भी सूचक पर गोली चलाई। लेकिन वह गोलीबारी से बचने में सफल रहा। इसके बाद सभी आरोपी गोलीबारी करते हुए वापस चले गए। हरदेव राय और प्रवीण कुमार पांडेय सहित तीन व्यक्तियों ने भी इस घटना को देखा जो घास काट रहे थे। घटना स्थल पर ही उनके (सूचक के) पिता की मृत्यु हो गई।

3. अपीलार्थी के किशोर होने के दावे पर, उसके मामले को अलग कर दिया गया और किशोर न्याय बोर्ड, बक्सर को भेज दिया गया, और जांच के बाद, उसे दिनांक 09.04.2021 के आदेश द्वारा किशोर घोषित कर दिया गया और उसके बाद, किशोर न्याय बोर्ड, द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन पर, उसका मामला किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 18 (3) के तहत विचरण के लिए दिनांक 21.06.2023 के आदेश द्वारा किशोर न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। बाल अपराध न्यायालय द्वारा वयस्क बाल मामले संख्या 14/2023 के रूप में दर्ज किया गया। अपीलार्थी ने बाल न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन किया जिसे प्रश्नगत आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

4. सामाजिक जाँच रिपोर्ट (सामाजिक अन्वेषण विवरण) भी अभिलेख पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता को कोई शारीरिक अक्षमता नहीं है। उसके दादा-दादी अनपढ़ हैं जबकि अपीलार्थी के पिता 9वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और कहा जाता है कि वह *राजस्थान* में एक मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी माँ भी एक अनपढ़ महिला और गृहिणी हैं। उनका छोटा भाई 12 साल का है और 7वीं कक्षा का छात्र है। उसकी छोटी बहन भी 11 साल की है और वह भी एक स्कूली छात्रा है। परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य सामान्य है। याचिकाकर्ता के संबंध परिवार के सभी सदस्य के साथ सौहार्दपूर्ण दिखाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि वर्तमान घटना से पहले, परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी आपराधिक मामले में शामिल नहीं था। हालाँकि, घटना के बाद, उसके पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और अन्य

संबद्ध धाराओं और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए बगेनगोला थाना कांड संख्या 17/2021 दर्ज किया गया है, हालांकि, उसके पिता इस मामले में जमानत पर हैं। परिवार के सभी सदस्यों को धार्मिक और पारंपरिक दिखाया गया है। परिवार के पास तीन *बीघा* कृषि भूमि और एक छोटा सा घर है। हालाँकि, अपीलार्थी को धूम्रपान करने, शराब पीने, नशीली दवाएँ लेने, जुआ खेलने और भीख माँगने की कोई आदत नहीं है। हालाँकि, उन्हें घर के अंदर या बाहर खेल खेलने, किताबें पढ़ने, या धार्मिक गतिविधियाँ करने या चित्रकारी, अभिनय, गायन या किसी अन्य गतिविधि की कोई आदत नहीं है। लेकिन अपीलार्थी को एक अनुशासित बच्चा दिखाया गया है। उसे राजस्थान में एक निजी कंपनी में मजदूर के रूप में काम करते हुए भी दिखाया गया है। उन्हें संयुक्त परिवार के रखरखाव में योगदान देते हुए दिखाया गया है। अपीलार्थी अनपढ़ है और उसके पास कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण भी नहीं है। उनके अधिकांश दोस्त भी अनपढ़ हैं। अपीलार्थी का अपने दोस्तों के प्रति रवैया सामान्य है। उसे किसी अपराध का शिकार नहीं दिखाया गया है। उसे अपने दोस्तों के प्रभाव के कारण कथित अपराध में शामिल दिखाया गया है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि अपीलार्थी का परिवार कम आय वर्ग में आता है और परिवार के सदस्य या तो अनपढ़ हैं या शायद ही साक्षर हैं। बचपन के दौरान, उन्हें अपने पिता की बहन के घर पर रहते हुए दिखाया गया था, जहाँ उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन पढ़ाई में उनकी रुचि न होने के कारण उन्हें *राजस्थान* में काम करने वाले उनके माता-पिता के पास वापस भेज दिया गया। वह एक निजी कंपनी में मजदूर के रूप में काम करने लगा। लेकिन कोरोना काल में वह अपने घर वापस आ गया। अपीलार्थी और सूचक पक्ष के बीच पहले से ही भूमि विवाद था। अपीलार्थी के पुनर्वास के लिए उसके लिए शैक्षिक प्रशिक्षण की सिफारिश की गई है।

5. मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए सहायक लोक

अभियोजक को सुना।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदित करते हैं कि प्रश्नगत आदेश कानून की नजर में मान्य नहीं है। विद्वान बाल न्यायालय ने अप्रासंगिक बिंदुओं पर विचार कर अपीलार्थी की नियमित जमानत याचिका को त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज कर दिया है। वह इस न्यायालय के एक फैसले का भी उल्लेख करते हैं और उस पर निर्भर करते हैं जिसका शीर्षक है-**विश्वजीत कुमार पांडेय उर्फ लालू कुमार बनाम बिहार राज्य,** जो **2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन पीएटी 8499** में प्रकाशित किया गया।

7. हालांकि, राज्य के लिए विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रश्नगत फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उसमें कोई अवैधता या कमी नहीं है। अतः वर्तमान याचिका खारिज की जा सकती है।

8. इससे पहले कि मैं पक्षों के प्रतिद्वंद्वी निवेदन पर विचार करूं, किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 का उल्लेख करना उचित होगा, जो किशोर को जमानत देने से संबंधित है। **अधिनियम की धारा 12** इस प्रकार हैः

> "12. **एक व्यक्ति को जमानत जो दृश्यमान रूप से विधि का उलंघन करने वाला कथित रूप से एक बालक है-**(1) जब कोई व्यक्ति, जो दृश्यमान रूप से एक बालक है और जिस पर जमानती या गैर-जमानती अपराध करने का आरोप है, पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है या हिरासत में लिया जाता है या बोर्ड के सामने आता है या पेश किया जाता है, तो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ऐसे व्यक्ति को प्रतिभू के साथ या उसके बिना जमानत पर रिहा किया जाएगा या परिवीक्षा अधिकारी की परिवेक्षाधीन या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखा जाएगाः
>
> परंतु ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार रिहा नहीं किया जाएगा यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार दिखाई देते हैं कि रिहाई से उस व्यक्ति के किसी ज्ञात

अपराधी के साथ जुड़ने की संभावना है या उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ जाने की संभावना है या व्यक्ति की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी, और बोर्ड जमानत से इनकार करने के कारणों और उन परिस्थितियों को दर्ज करेगा जिनके कारण ऐसा निर्णय लिया गया था।

(2) जब गिरफ्तार किए गए ऐसे व्यक्ति को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा उप-धारा (1) के तहत जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, तो ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति को केवल एक संप्रेक्षण गृह [या सुरक्षा के स्थान, जैसा भी मामला हो,] में उस तरीके से रखेगा जो तब तक निर्धारित किया जाए जब तक कि उस व्यक्ति को बोर्ड के समक्ष नहीं लाया जाता।

(3) जब बोर्ड द्वारा ऐसे व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, तो वह उस व्यक्ति के बारे में जांच के लंबित रहने के दौरान ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाए, किसी निरीक्षण/ संप्रेक्षण गृह या सुरक्षा स्थान पर भेजने का आदेश देगा।

(4) जब विधि का उलंघन करने वाला कोई बालक जमानत आदेश के सात दिनों के भीतर जमानत आदेश की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो ऐसे बच्चे को जमानत की शर्तों में संशोधन के लिए बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।

(जोर दिया गया)

9. विश्वजीत कुमार पांडेय मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के वैधानिक प्रावधानों और बाध्यकारी न्यायिक निर्णयो पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी और निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया थाः .

"**10.** किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 12 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि अधिनियम की धारा 12 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में निहित जमानत प्रावधानों प्रधानता रखती है। यह भी स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 12 के

अनुसार, किशोर को जमानत देना एक नियम है और उससे इनकार करना एक अपवाद है और किशोर को केवल निम्नलिखित आधारों पर जमानत देने से इनकार किया जा सकता हैः

(i) यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार दिखाई देता है कि रिहाई से उस व्यक्ति के किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ने की संभावना है या

(ii) उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरा होने की संभावना है; या

(iii) व्यक्ति की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

11. अधिनियम की धारा 12 (1) में "ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाएगा" अभिव्यक्ति का उपयोग यह भी दर्शाता है कि एक किशोर को जमानत देना अनिवार्य है जब तक कि इनकार करने के लिए आधार मौजूद न हों।

12. यह भी स्पष्ट है कि कथित अपराध की गंभीरता या किशोर की उम्र भी किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के तहत जमानत से इनकार करने के लिए कोई प्रासंगिक विचारणीय तथ्य नहीं है। यहां तक कि एक बच्चा जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या उससे अधिक है और जिस पर जघन्य अपराध करने का आरोप है, वह भी अधिनियम, 2015 की धारा 12 के तहत जमानत पाने का हकदार है। जमानत देने के संबंध में अधिनियम, 2015 की धारा 12 में कोई वर्गीकरण प्रदान नहीं किया गया है। धारा 12 बिना किसी प्रकृति के भेदभाव के कानून के साथ संघर्ष करने वाले सभी किशोरों पर लागू होती है। (यह भी देखें **लालू कुमार उर्फ लाल बाबू बनाम बिहार राज्य, 2019 (6) बीएलजे 2016)**

13. यह भी स्पष्ट होता है कि अधिनियम, 2015 की धारा 12 किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य विधि का उलंघन करने वालेकिशोरों को दंडित करना नहीं है, बल्कि उनके सर्वोत्तम हित में मामलों के निर्णय और निपटान में बाल अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर उचित देखभाल,

संरक्षण, विकास और सामाजिक समाकलन द्वारा उन्हें सुधारना और पुनर्वास करना है। यह अधिनियम इस विश्वास पर आधारित है कि बच्चे समाज का भविष्य हैं और यदि वे कुछ परिस्थितियों में कानून का उलंघन करते हैं, तो उन्हें सुधार और पुनर्वास किया जाना चाहिए और दंडित नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी समाज अपने बच्चों को दंडित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। संघर्ष में बच्चों के प्रति दंडात्मक दृष्टिकोण समाज के लिए आत्म-विनाशकारी होगा।

14. अधिनियम का उद्देश्य न केवल अधिनियम की प्रस्तावना से प्रकट होता है, बल्कि अधिनियम की धारा 3 में भी अधिनियम के प्रशासन में सामान्य सिद्धांतों का पालन करने का प्रावधान है।

15. यह भी स्पष्ट है कि सुधारात्मक या अवलोकन गृह कानून से संघर्षरत बच्चों का सुधार और पुनर्वास के लिए हमारी विधायिका द्वारा विचार किए गए उपायों में से एक है। हालाँकि, विधायिका द्वारा अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत बच्चों के परिवार को सबसे अच्छा और पहला वांछनीय संस्थान माना गया है। इसलिए, बच्चे की देखभाल और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बच्चे के जैविक परिवार या गोद लेने वाले या पालक माता-पिता को दी गई है और यह विचार किया गया है कि कानून के साथ संघर्ष में प्रत्येक बच्चे को जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने का अधिकार है। कानून के साथ संघर्ष में एक किशोर के संस्थागतकरण (किसी संस्थान में रखने का प्रावधान) को अंतिम उपाय के रूप में माना गया है। ऐसे सिद्धांत 2015 के अधिनियम की धारा 3 के खंड IV, V, XIII और XIII में परिलक्षित होते हैं जो इस प्रकार हैंः

> "3. **अधिनियम का प्रशासन मे पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत** केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, बोर्ड और अन्य एजेंसियां, जो भी मामला हो, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते समय

निम्नलिखित मौलिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होंगी, अर्थात्ः.

.....

(iv) सर्वोत्तम हित का सिद्धांतः बच्चे के संबंध में सभी निर्णय इस प्राथमिक विचार पर आधारित होंगे कि वे बच्चे के सर्वोत्तम हित में हैं और बच्चे को पूरी क्षमता विकसित करने में मदद करेंगे।

(v) पारिवारिक उत्तरदायित्व का सिद्धांतःबच्चे की देखभाल, पालन-पोषण और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक परिवार या दत्तक या पालक माता-पिता की होगी, जैसा भी मामला हो।

.....

(xii) अंतिम उपाय के रूप में संस्थागतकरण (किसी संस्थान में रखने का प्रावधान) का सिद्धांतःएक बच्चे को उचित जांच करने के बाद अंतिम उपाय के रूप में संस्थागत देखभाल में रखा जाएगा।

(xiii) समप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का सिद्धांतः किशोर न्याय प्रणाली में प्रत्येक बच्चे को जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ फिर से एकजुट होने और उसी सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में प्रत्यावर्तन का अधिकार होगा जिसमें वह इस अधिनियम के दायरे में आने से पहले था, जब तक कि ऐसा समप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन उसके सर्वोत्तम हित में न हो। (जोर दिया गया)

16. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के उपरोक्त उद्देश्य और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 12 कानून के साथ संघर्षरत एक किशोर को अनिवार्य जमानत का प्रावधान करती है, जब तक कि अधिनियम की धारा 12 (1) के परंतुक में दिए गए आधार मौजूद न हों, ताकि बच्चे को जल्द से जल्द अवसर पर अपने परिवार के साथ फिर से एकजुट किया जा सके और बच्चे की सुरक्षा, विकास, सुधार और पुनर्वास

सुनिश्चित किया जा सके।

17. इसलिए, 2015 के किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, कानून के साथ संघर्षरत एक बच्चे को वयस्क अपराधी के रूप में माने जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है। कानून के साथ संघर्षरत किशोर से व्यवहार करते समय मूल रूप से एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सभी न्यायालयों को बच्चे के सुधार और पुनर्वास के लिए किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कानून के साथ संघर्षरत किशोर से निपटने की आवश्यकता है, ताकि वह समाज का एक जिम्मेदार और रचनात्मक सदस्य बन सके। समाज बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसे बच्चों से सुधारात्मक दृष्टिकोण के बजाय दंडात्मक तरीके से निपटा जाए।

(जोर दिया गया)

10. मामले पर आते हुए, मैंने पाया कि विद्वान बाल न्यायालय ने अपीलार्थी की जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि वह हत्या के कथित अपराध में सक्रिय रूप से शामिल है और वह आपराधिक गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है और उसकी खराब संगति है और उसकी रिहाई से वह अन्य ज्ञात अपराधियों के साथ जुड़ जाएगा या उसे नैतिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ जाएगा और उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

11. हालांकि, वैधानिक प्रावधानों और बाध्यकारी न्यायिक पूर्ववर्ती निर्णयो के अनुसार, मैं पाता हूं कि गंभीर प्रकृति के अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता किशोर को जमानत देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है।

12. इसके अलावा, विद्वान निचली अदालत की यह टिप्पणी कि अपीलार्थी आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और उसकी खराब संगति है, निराधार है। सामाजिक जाँच रिपोर्ट से यह नहीं पता चलता है कि अपीलार्थी वर्तमान मामले से

पहले किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल था। वास्तव में, वह अपने परिवार की खराब स्थिति के कारण राजस्थान में एक मजदूर के रूप में काम कर रहा था। वर्तमान मामले से पहले उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है।

13. यहां तक कि बाल न्यायालय का यह निष्कर्ष भी निराधार है कि अपीलार्थी की रिहाई से वह बुरी संगति में आ जाएगा। सामाजिक जाँच रिपोर्ट के अनुसार, मुझे नहीं लगता कि वह किसी आपराधिक गिरोह का सदस्य था और उसकी रिहाई उसे उस गिरोह के साथ ला सकती है।

14. सामाजिक जाँच रिपोर्ट के अनुसार, अपीलार्थी के जमानत पर रिहा होने पर उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ने की भी कोई संभावना नहीं है।

15. मैं यह भी पाता हूँ कि विद्वान बाल न्यायालय ने न्याय के उद्देश्यों को गलत समझा है जब उनके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी। शायद, निचली अदालत हत्या के कथित अपराध की गंभीरता से प्रभावित हुई है। लेकिन किशोर न्याय अधिनियम के संदर्भ में न्याय का उद्देश्य पूरी तरह से अलग है। किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य किशोरों में सुधार और पुनर्वास करना है न कि उन्हें दंडित करना। अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार हैः

> "यह एक अधिनियम है जो उन बच्चों से संबंधित कानूनों को संकलित और संशोधित करता है, जो कानून से संघर्षरत पाए जाते हैं और जो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता रखते हैं। यह बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं को उचित देखभाल, सुरक्षा, विकास, उपचार, और समाज में पुनः एकीकरण के माध्यम से पूरा करता है। इसमें बाल-सुलभ दृष्टिकोण अपनाया जाता है, ताकि बच्चों के सर्वोत्तम हित में मामलों का निर्णय और निपटारा किया जा सके और उनका पुनर्वास किया जा सके। इसमें जो प्रक्रियाएँ और संस्थाएँ स्थापित की गई हैं, उनके माध्यम से बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाता है, और इसके

साथ जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए भी प्रावधान किया गया है।"

16. इस प्रकार, यदि बच्चे को अभिरक्षा में रखना उसके विकास और पुनर्वास या सुरक्षा में सहायक है, तो ही यह कहा जा सकता है कि बच्चे की रिहाई न्याय के उद्देश्य विफल कर देगी। **(अभिषेक बनाम राज्य,205 सीआरआइएलजे(एनओसी) 115 (दिल्ली) और मनोज बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली, 2006 सीआरआइएलजे 4759)** को भी देखें। इसके अलावा, यदि परिवार का वातावरण बच्चे के विकास के लिए अनुकूल है, तो बच्चे के कल्याण और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए परिवार को सबसे अच्छा और सबसे वांछनीय संस्थान माना जाता है। ऐसी स्थिति में, जमानत पर अपीलार्थी की रिहाई अपीलार्थी को प्रवेक्षण गृह में हिरासत में रखने की तुलना में न्याय के उद्देश्यों को बेहतर तरीके से पूरा करेगी और बढ़ावा देगी।

17. इसलिए, प्रश्नगत आदेश कानून की नजर में अमान्य है। तदनुसार उसे निरस्त किया जाता है साथ ही वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाती है, जिसमें अपीलार्थी कोजमानत बांड के रूप में 10,000/- (रु दस हजार) अपने पिता और माता प्रत्येक के द्वारा देने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन:

(i) अपीलार्थी के पिता और माता शपथ पत्र के माध्यम से वचन देंगे कि अपीलार्थी किसी भी अपराधी के संपर्क में नहीं आएगा;

(ii) वे आगे यह भी वचन देंगे की याचिकाकर्ता को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। और

(iii) वे आगे यह सुनिश्चित करने का वचन देंगे कि याचिकाकर्ता आवश्यकता पड़ने पर या निर्देश दिए जाने पर किशोर न्याय बोर्ड और न्यायालयों में उपस्थित होगा।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

एस.अली/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।